फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व विविध संख्या 08/2019 GCMS NO. 2019/00176 बअनवान् श्रीमति नमाजी बनाम रसूल खां वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 141, 151 सी.पी.सी.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
2/8/2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् जाहिर हैं कि अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष अमृत परिहार द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के माध्यम से दलील दी जा रही हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीया एवं उसकी दोनो पुत्रीयो श्रीमति जन्नतः श्रीमति कमला पुत्रीया मिश्रुखांजी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त विवादित भूमि में सह खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु इस न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 13/2018 श्रीमति नमाजी वगैरा बनाम रसुल खां वगैरा प्रस्तुत किया था। जो राजस्व वाद वादीपक्ष मय प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 13.03.2019 को जरिये विड्रोल खारिज करवाया था। तथा अब पुनः उक्त दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र कानूनी तौर से पोषणीय नहीं है एवं विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एवं पुर्व के राजस्व वाद संख्या 13/2018 बअनवान श्रीमति नमाजी वगैरा बनाम रसुल खां वगैरा निर्णय दिनांक 13.03.2019 के तथ्य समान है एवं इस आवेदन में चाहा गया अनुतोष पूर्व वाद में समाहित (**Merge**) होने से प्रार्थीया का आवेदन विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थीया का आवेदन नामंजूर कर खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील अप्रार्थी पक्ष श्री अमृत परिहार द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश कियाः– R.R.T. 2003(2) **जिसके अनुसार–** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 23, नियम 01 और धारा 11– व्याप्ति– रेस ज्यूडिकेटा– वादी ने वाद पेश किया और नया वाद पेश करने की अनुमति बिना विड्रो किया– उसी विषय वस्तु के लिये पश्चात्वर्ती वाद– वादी को अनुमति नहीं दी जा सकती– पश्चात्वर्ती वाद रेस ज्यूडिकेटा से बाधित है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पुर्व में नियुक्त अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 31.08.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान वाद पर लागू होते है तथा उक्त प्रकरण दुरस्ती के तहत समरी प्रोसिडिंग्स का होने से प्रार्थना पत्र पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किया जावे। प्रार्थी पक्ष के पुर्व अधिवक्ता की मृत्यु के पश्चात् नये नियुक्त अधिवक्ता श्री जयकिशोर लखारा को बहस के लिये समय/ अवसर दिये जाने के बावजुद बहस के लिये हाजिर नहीं होने तथा पुर्व प्रस्तुत जवाब के समर्थन में ऐसा कोई कानूनी उद्हरण पेश नहीं किया जाने से वकील अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत पुर्व निर्णित प्रकरण की पत्रावली के निर्णय के अवलोकन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि पुर्व निर्णित प्रकरण एवं इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि एक ही है। इस प्रकार एक ही भूमि के सबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पुर्व में खारिज होने तथा अनुतोष समान होने से विधिक प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी का उक्त प्रकरण बाधित है। जिससे प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पीसी. स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश 23 नियम 01 व धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार प्रार्थीया नमाजी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner